

नंदा गौरा योजना

Login And Registration Tutorial

उत्तराखंड सरकार | Govt of Uttarakhand



महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड



नंदा गौरा योजना

नंदा गौरा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें :-

1. आवेदन फार्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरे, अपूर्ण एवं गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूलस्थायी बासिकर्ताओं हेतु ही मान्य है।
3. एक परिवार की किन्हीं भी दो से अधिक बासिकर्ताओं(जीवित बासिकर्ताओं) को नंदा गौरा योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा।
4. एक कन्या/बासिकर्ता के लिए एक चरण के लिए एक से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
5. इस योजना का लाभ केवल कन्या (प्रथम चरण) पर एवं बासिकर्ता के इंटर (कक्षा-12) उत्तीर्ण (द्वितीय चरण) करने पर ही देय है।
6. प्रथम चरण हेतु कन्या/शिष्य जन्म के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 06 माह के उपरान्त आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गयी है। इस तिथि के उपरान्त आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. प्रत्येक चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र नंदा गौरा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड करने आवश्यक है।
9. प्रत्येक अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक का न हो व स्पष्ट रूप से पठनीय हो। प्रमाण पत्र अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी पूर्ण विमोचनकारी आवेदनकर्ता की होगी।
10. प्रथम चरण हेतु माता (माता के न होने की दशा में पिता/अभिभावक) एवं द्वितीय चरण हेतु छात्रालाभार्थी का बैंक खाता विवरण सही से भरे। बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाता आधार से लिंक हो साथ ही ध्यान दें कि खाता जन-जन का न हो।
11. नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता सक्रिय है।
12. यह योजना कबड की प्रवस्था में पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित है।
13. यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी है। किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
14. यह योजना समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप संशोधित होगी।

आवेदक/उपयोगकर्ता लॉगिन फॉर्म

साइन इन करें

पंजीकृत मोबाइल नंबर

आपका पासवर्ड

साइन इन

© 2023 नंदा गौरा योजना | WECDUK. All Rights Reserved

Designed by Brainrock

FIRST YOU HAVE TO REGISTER AS SHOWN BELOW:

उत्तराखंड सरकार | Govt of Uttarakhand



महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड



नंदा गौरा योजना

नंदा गौरा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें :-

1. आवेदन फार्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरे, अपूर्ण एवं गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूलस्थायी बासिकर्ताओं हेतु ही मान्य है।
3. एक परिवार की किन्हीं भी दो से अधिक बासिकर्ताओं(जीवित बासिकर्ताओं) को नंदा गौरा योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा।
4. एक कन्या/बासिकर्ता के लिए एक चरण के लिए एक से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
5. इस योजना का लाभ केवल कन्या (प्रथम चरण) पर एवं बासिकर्ता के इंटर (कक्षा-12) उत्तीर्ण (द्वितीय चरण) करने पर ही देय है।
6. प्रथम चरण हेतु कन्या/शिष्य जन्म के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 06 माह के उपरान्त आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गयी है। इस तिथि के उपरान्त आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. प्रत्येक चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र नंदा गौरा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड करने आवश्यक है।
9. प्रत्येक अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक का न हो व स्पष्ट रूप से पठनीय हो। प्रमाण पत्र अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी पूर्ण विमोचनकारी आवेदनकर्ता की होगी।
10. प्रथम चरण हेतु माता (माता के न होने की दशा में पिता/अभिभावक) एवं द्वितीय चरण हेतु छात्रालाभार्थी का बैंक खाता विवरण सही से भरे। बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाता आधार से लिंक हो साथ ही ध्यान दें कि खाता जन-जन का न हो।
11. नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता सक्रिय है।
12. यह योजना कबड की प्रवस्था में पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित है।
13. यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी है। किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
14. यह योजना समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप संशोधित होगी।

आवेदक/उपयोगकर्ता लॉगिन फॉर्म

साइन इन करें

पंजीकृत मोबाइल नंबर

आपका पासवर्ड

साइन इन

© 2023 नंदा गौरा योजना | WECDUK. All Rights Reserved

Designed by Brainrock

नए आवेदक/उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें?

WHEN YOU WILL CLICK AT IT, YOU WILL COME UP WITH THE IMAGE AS SHOWN BELOW:

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड

नंदा गौरा योजना

Login And Registration Tutorial

The screenshot shows the official website of the Uttarakhand Government. A modal titled "नए आवेदक/उपयोगकर्ता पंजीकरण जानकारी" (New Applicant/Registered User Registration Information) is displayed in the center. It contains the following fields and instructions:

- पंजीकरण फॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें।** (To proceed with the registration form, enter your valid mobile number.)
- Registered Mobile No.** (Text input field)
- अपने जिले का नाम चुनें** (Choose your district name)
- Choose District Name** (Dropdown menu)
- जानकारी दर्ज करें** (Submit button)

The background shows the main registration form with fields for "पंजीकृत मोबाइल नंबर" (Registered Mobile No.), "आपका पासवर्ड" (Your Password), and a "साइन इन करें" (Login) button. A red text link at the bottom right says "नए आवेदक/उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें?" (New Applicant/Registered User Register Now?).

YOU HAVE TO FILL THE DETAILS AS SHOWN BELOW:

This screenshot is similar to the previous one, but the "Choose District Name" dropdown menu is open, showing a list of districts in Uttarakhand. The districts listed are:

- Almora
- Bageshwar
- Chamoli
- Champawat
- Dehradun** (highlighted)
- Haridwar
- Nainital
- Pauri Garhwal
- Pithoragarh
- Rudrapur
- Tehri Garhwal
- Udham Singh
- Uttarkashi

AFTER FILLING THE DISTRICT NAME SUBMIT IT AS SHOWN BELOW:

नंदा गौरा योजना

Login And Registration Tutorial

उत्तराखंड सरकार | Gov.t of Uttarakhand

नए आवेदक/उपयोगकर्ता पंजीकरण जानकारी

पंजीकरण फॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें।

Registered Mobile No.

अपने जिले का नाम चुनें

Choose District Name

जानकारी दर्ज करें

नंदा गौरा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें

1. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरे, अधूरी एवं गलत जानकारी आवेदन फॉर्म पर दर्ज करने से आवेदन फॉर्म अस्वीकार्य होगा।
2. यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूलस्थायी बासिन्दाओं हेतु ही मान्य है।
3. एक परिवार की किन्हीं भी दो से अधिक बासिन्दाओं (खीबत बासिन्दाओं) को नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने से अस्वीकार्य किया जाएगा।
4. एक कन्या-बासिन्दा के लिए एक चरण के लिए एक से अधिक बार योजना के तहत आवेदन करने पर आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा।
5. इस योजना का लाभ केवल कन्या (उम्र 12) उर्गीत (द्वितीय चरण) करने पर ही दया है।
6. प्रथम चरण हेतु कन्या का जन्म के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 06 माह के उपरान्त आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गयी है। इस तिथि के उपरान्त आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. प्रत्येक चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र नंदा गौरा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड करने आवश्यक है।
9. प्रत्येक अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक का न हो व स्पष्ट रूप से पठनीय हो। प्रमाण पत्र अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदककर्ता की होगी।
10. प्रथम चरण हेतु माता (माता के न होने की दशा में पिता/अभिभावक) एवं द्वितीय चरण हेतु छात्रा/लाभार्थी का बैंक खाता विवरण सही से भरे। बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाता आधार से लिंक हो साथ ही ध्यान दें कि खाता जन-धन का न हो।
11. नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता सक्रिय है।
12. यह योजना बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित है।
13. यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी है। किन्हीं भी दशा में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. यह योजना समय-समय पर जारी सामान्यतः के अनुरूप संशोधित होगी।

आवेदक/उपयोगकर्ता लॉगिन फॉर्म

साइन इन करें

पंजीकृत मोबाइल नंबर

Registered Mobile No.

आपका पासवर्ड

Your Password

साइन इन

नए आवेदक/उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें?

© 2023 नंदा गौरा योजना | WECDUK. All Rights Reserved
Designed by Brainrock

AFTER SUBMISSION YOU WILL COME UP WITH THE IMAGE AS SHOWN BELOW:

उत्तराखंड सरकार | Gov.t of Uttarakhand

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड

नंदा गौरा योजना

लाभार्थी सत्यापन

मोबाइल नंबर

Enter OTP

ओटीपी सबमिट करें

© 2023 नंदा गौरा योजना | WECDUK. All Rights Reserved
Designed by Brainrock

HERE THE YOU HAVE TO ENTER THE OTP GIVEN ON THE NUMBER YOU HAVE REGISTER AS SHOWN BELOW:

नंदा गौरा योजना

Login And Registration Tutorial

उत्तराखंड सरकार | Gov.t of Uttarakhand

Official Website Login/Admin Contact Us

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड

नंदा गौरा योजना

लाभार्थी सत्यापन

मोबाइल नंबर

मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें

ओटीपी सबमिट करें

© 2023 नंदा गौरा योजना | WECDUK. All Rights Reserved. Designed by Brainrock

THEN YOU HAVE HAVE TO SUBMIT THE OTP AS SHOWN IN ABOVE IMAGE.

AFTER THAT YOU WILL SEE THE IMAGE AS SHOWN BELOW:

उत्तराखंड सरकार | Gov.t of Uttarakhand

Official Website Login/Admin Contact Us

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड

नंदा गौरा योजना

लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म

बासिका का नाम

मोबाइल नंबर

नया पासवर्ड लिखें

पासवर्ड पुनः लिखें

आधार कार्ड नंबर

ज़िला

ब्लॉक/परियोजना

लाभार्थी पंजीकृत करें

© 2023 नंदा गौरा योजना | WECDUK. All Rights Reserved. Designed by Brainrock

AFTER FILLING ALL THE DETAILS YOU HAD TO DO SUBMIT AS SHOWN IN THE IMAGE ABOVE.

नंदा गौरा योजना

Login And Registration Tutorial

AFTER SUBMISSION YOU HAD TO LOGIN AND YOU WILL DO IT THIS WITH THE NANDA GAURA HOME PAGE AS SHOWN BELOW:

उत्तराखंड सरकार | Govt of Uttarakhand

Official Website

Login/Admin

Contact Us



महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड



नंदा गौरा योजना

नंदा गौरा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें :-

1. आवेदन फार्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप से सही भरे, अधूरी एवं गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूलस्थायी बासिन्दाओं हेतु ही मान्य है।
3. एक परिवार की किन्हीं भी दो से अधिक बासिन्दाओं(जीवित बासिन्दाओं) को नंदा गौरा योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा।
4. एक कन्या/बासिन्दा के लिए एक चरण के लिए एक से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
5. इस योजना का लाभ केवल कन्या अनाग्राम (ग्राम) पर एवं बासिन्दा के इंटर (कक्षा-12) उत्तीर्ण (द्वितीय चरण) करने पर ही देय है।
6. प्रथम चरण हेतु कन्या विद्यार्थी वृत्त के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 06 माह के उपरंत आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गयी है। इस तिथि के उपरंत आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. प्रत्येक चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र नंदा गौरा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड करने आवश्यक है।
9. प्रत्येक अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक का न हो व स्पष्ट रूप से पठनीय हो। प्रमाण पत्र अपठनीय होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/उपयोगकर्ता की होगी।
10. प्रथम चरण हेतु माता (माता के न होने की दशा में पिता/अभिभावक) एवं द्वितीय चरण हेतु छात्रालाभार्थी का बैंक खाता विवरण सही से भरे। बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि खाता आधार से लिंक हो साथ ही ध्यान दें कि खाता जन-धन का न हो।
11. नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता सक्रिय है।
12. यह योजना बजट की प्रक्रिया में पहले आगे बढ़ने वाली पर आधारित है।
13. यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गयी है। किन्हीं भी दृष्टा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
14. यह योजना समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप संशोधित होगी।

आवेदक/उपयोगकर्ता लॉगिन फॉर्म

साइन इन करें

पंजीकृत मोबाइल नंबर

Registered Mobile No.

आपका पासवर्ड

Your Password

साइन इन

नए आवेदक/उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें?

© 2023 नंदा गौरा योजना | WGECDUK - All Rights Reserved

YOU HAD TO LOGIN WITH THE SAME ID AND PASSWORD YOU MENTIONED IN THE REGISTRATION.